# संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ : काश्यप

**सिंघम रिपोर्टर ▫ रतलाम**

शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है। विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि रतलाम नगर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था।

शासन की और से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) म.प्र. भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

श्री काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बिमारी के उपचार में काफी मदद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा। सिंहम-18

## श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

रतलाम। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते है उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले मे बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है। आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

सिंहम - 18/1/२२

# संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ - विधायक काश्यप

**रतलाम।** शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि रतलाम नगर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था। शासन की और से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी म.प्र. भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।श्री काश्यप ने बताया वि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भार सरकार की अनुपम योजना है। इससे क परिवारों को बिमारी के उपचार में काफी मद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते ह भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उन सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना लाभ मिलने लगेगा। अग्निलेखा

अग्निलेखा 18/1/२२

# जिले में 654 एक्टिव मरीज, 570 होम आइसोलेशन में

## कोरोना के 118 नए मरीज मिले, 91 स्वस्थ हुए, काल रिसीव नहीं करने पर मरीज को कोविड सेंटर भेजेंगे

महिलाओं व बच्चों को मास्क वितरित करती हुई ग्रुप सदस्याएं। ●नईदुनिया

मेडिकल कालेज में सहायता केंद्र के लोकार्पण अवसर पर उपस्थितजन। ●नईदुनिया

**इस तरह बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ**

| तारीख | पाजिटिव केस |
|---|---|
| 18 जनवरी | 118 |
| 17 जनवरी | 108 |
| 16 जनवरी | 101 |
| 15 जनवरी | 101 |
| 14 जनवरी | 98 |

**रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)।** जिले में कोरोना के नए मरीज मिलने की संख्या में रोज वृद्धि हो रही है। मंगलवार को 118 नए मरीज मिले और 91 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अभी जिले में 570 मरीज होमआइसोलेशन में हैं। इनमें से 515 मरीज रतलाम शहर से हैं।

मंगलवार को मिले 118 नए मरीजों के साथ ही अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 654 हो गई है। तीसरी लहर में वैक्सीनेशन का असर दिख रहा है। एक्टिव मरीजों में से करीब 25 को ही कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां भी आइसोलेशन में रखे गए किसी भी मरीज को आक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

**काल अटैंड नहीं की तो मरीज को होम आइसोलेट से कोविड केयर सेंटर भेजेंगे :** जिला कोविड-कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 1075 से रतलाम में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों की सेहत जानने के लिए मरीज को सेहत की बेहतरी, मार्गदर्शन एवं उपचार को लेकर दिन में दो बार काल की जाती है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि होम आइसोलेट मरीजों को काल किए जाने के दौरान पाया गया कि वे काल रिसीव नहीं करते अथवा फोन बंद मिलता है या मरीज द्वारा गलत नंबर दर्ज करवाए गए हैं। ऐसी स्थिति में अब कोविड कमांड सेंटर का काल रिसीव नहीं करने पर मरीज को होम आइसोलेशन के स्थान पर कोविड-केयर सेंटर भेज दिया जाएगा। जिले में अभी 570 मरीज होम आइसोलेट हैं। इनमें 515 मरीज केवल रतलाम शहर के हैं।

### 1500 मास्क बांटे

सनातन सोशल ग्रुप द्वारा मास्क लगाओ-मास्क लगावाओ अभियान के तहत 1500 मास्क का वितरण किया गया। मास्क बांटने की शुरुआत स्नेह नगर से की गई। स्नेह नगर, हनुमान ताल, सुयोग परिसर, मंगल मूर्ति, विरियाखेड़ी, कस्तूरबा नगर, राम मंदिर आदि क्षेत्रों में घर-घर जाकर मास्क का वितरण किया गया। सड़क किनारे बैठे हुए निराश्रितों व मजदूरों को भी मास्क वितरित किए गए। कालोनियों में खेलने वाले बच्चों को भी मास्क देकर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की समझाइश दी गई। मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयुर पुरोहित, मंडल उपाध्यक्ष चेतना पाटीदार, पूर्व पार्षद मनीषा शर्मा, सुनीता श्रीवास्तव, भारती पाटीदार, खुशबू अरोलिया, आशीष पाटीदार, सारिका दीक्षित, कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे।

**शासकीय मेडिकल कालेज में सेवा भारती के सहायता केंद्र का लोकार्पण :** देशभर में सेवा और समर्पण के लिए विख्यात संस्था सेवा भारती के सहायता केंद्र का लोकार्पण रतलाम के शासकीय मेडिकल कालेज में किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक सुरेंद्र सुरेका, विभाग बौद्धिक प्रमुख वीरेंद्र पाटीदार व सेवा भारती के जिलाध्यक्ष राकेश मोदी ने मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्ज्वलन कर केंद्र का लोकार्पण किया।

सेवा भारती सदैव प्राकृतिक आपदा, महामारी जैसे संकट के समय में तत्परता से मानव सेवा व राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रही है। कोरोना महामारी के समय भी सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने देश व प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ ही रतलाम के मेडिकल कालेज में भर्ती कोरोना संक्रमितों, उनके स्वजन, चिकित्सकों, अस्पतालकर्मियों के साथ ही शहर के आम जनमानस के बीच सेवा और सहायता का अनुकरणीय कार्य किया है। सेवा की इसी शृंखला में रतलाम के शासकीय मेडिकल कालेज में अब स्थायी रूप से सेवा भारती का सहायता केंद्र प्रारंभ हो गया है। इस सहायता केंद्र के माध्यम से मेडिकल कालेज में अस्पताल प्रारंभ होने के बाद भी रतलाम व आसपास के जिलों से मेडिकल कालेज में उपचार के लिए आने वाले रोगियों, उनके स्वजनों को नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की सहायता, आवश्यक जानकारी सुलभता से उपलब्ध होगी। इस अवसर पर संघ के नगर कार्यवाह मनीष सोनी, सहकार्यवाह ऋषभ सुराना, सेवा भारती के सचिव सु[illegible] [illegible], सेवा भारती के योगेश जाट, अनु[illegible] छाजेड़, स्वतंत्र पाटनी, अभिनव बरमेचा, संजय निनामा, धर्मेंद्र चौहान, दीपेश राव, मेडिकल कालेज के डीन डा. जितेन्द्र गुप्ता, अस्पताल अधीक्षक डा. पवन शर्मा, डा. आशीष दामा, डा. विनय शर्मा आदि गणमान्यजन उपस्थित रहे।

पृ. 19

नईदुनिया 19/1/22

# जनसुनवाई में 36 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद द्वारा 36 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में दीनदयाल नगर (झुग्गी झोपडी) निवासी मंजूबाला ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी के पुत्र संदीप पिता राजमल द्वारा इंडिया शेल्टर बैंक से लोन लिया गया था जिसकी मासिक किस्त 500 रुपए ली जा रही थी। लाकडाउन लगने के बाद किश्त की राशि 1199 रुपए प्रतिमाह के मान से प्रार्थिया द्वारा जमा कराई जा रही थी किन्तु प्रार्थिया के पुत्र संदीप की 2 अप्रैल को तथा पति की 16 मई को मृत्यु हो जाने के कारण पारिवारिक स्थिति काफी खराब हो गई है। बैंक वालों ने किश्त की राशि 7035 रुपए प्रतिमाह कर दी है। इतनी बडी रकम प्रार्थिया भरने में असमर्थ है। अतः 1199 रुपए की मासिक किश्त कर दी जाए जो प्रार्थिया अदा कर सकेगी। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

कस्तूरबा नगर गली नं. 5 निवासी उषा मालपानी पति कमलेश मालपानी जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का एक मकान गली नं. 5 कस्तूरबा नगर रतलाम में स्थित है। उक्त मकान की लीज अवधि बढाने हेतु प्रार्थिया द्वारा 14 सितम्बर को आवेदन दिया था परन्तु चार माह बीतने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। पूंछने पर बताया जाता कि उक्त प्रकरण की फाईल नहीं मिल रही है। अतः मेरे मकान की लीज अवधि बढाई जाने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम को प्रेषित किया गया है। ग्राम माल्या तहसील ताल निवासी नारायण सिंह राजपूत ने बताया कि पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत जो पाइप लाइन डाली गई है वह नालियों में डाल दी गई है जिससे ग्रामीणों को गंदा व बदबूदार पानी मिल रहा है और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

प्रसारण - 19

प्रसारण 19/1/22

# अब दो से अधिक श्वान का पालन नहीं कर सकेंगे शहरवासी

## श्वान पालकों को अपने श्वान का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

● रतलाम

**नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।**

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000 रुपए एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500 रुपए प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100 रुपए जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी। नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

अग्निबाण 18-1-22

अग्निबाण - 18/1/22

# श्वान पालकों को अपने श्वान का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

## 2 से अधिक श्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम ● स्वदेश समाचार

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपए 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रुपए 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रुपए जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वदेश 19

स्वदेश 19/1/22

## जनसुनवाई में 36 आवेदनों के निराकरण के निर्देश

# लीज अवधि बढ़ाना है, फाइल मिल नहीं रही

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर एमएल आर्य तथा डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद द्वारा 36 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में दीनदयाल नगर (झुग्गी झोपड़ी) निवासी मंजूबाला ने आवेदन में बताया कि बेटे संदीप पुत्र राजमल द्वारा इंडिया शेल्टर बैंक से लोन लिया गया था। मासिक किस्त 500 रुपये ली जा रही थी। लाकडाउन लगने के बाद किस्त की राशि 1199 रुपये प्रतिमाह के मान से प्रार्थिया द्वारा जमा कराई जा रही थी, लेकिन पुत्र संदीप की दो अप्रैल को तथा पति की 16 मई को मृत्यु हो जाने के कारण पारिवारिक स्थिति काफी खराब हो गई है। बैंक ने किस्त की राशि 7035 रुपये प्रतिमाह कर दी है। अतः 1199 रुपये की मासिक किस्त कर दी जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

कलेक्टोरेट में जनसुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर एमएल आर्य। ●नईदुनिया

कस्तूरबा नगर गली नंबर पांच निवासी उषा मालपानी पुत्र कमलेश मालपानी ने आवेदन में बताया कि गली नंबर पांच में स्थित मकान की लीज अवधि बढ़ाने के लिए 14 सितंबर को आवेदन दिया था। चार माह बाद भी पूछने पर बताया जाता कि उक्त प्रकरण की फाइल नहीं मिल रही है। मकान की लीज अवधि बढ़ाई जाए। प्रकरण निराकरण के लि आयुक्त नगर निगम को प्रेषित किया गया है। ग्राम माल्या तहसील ताल निवासी नारायण सिंह राजपूत ने बताया कि पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत जो पाइप लाइन डाली गई है वह नालियों में डाल दी गई है। इससे ग्रामीणों को गंदा व बदबूदार पानी मिल रहा है। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

नईदुनिया 19/1/22

## विकास शाखा के लापरवाह 3 कर्मचारियों की एक वेतनवृद्धि रोकी

रतलाम | लीज निरस्त करने के बाद संपत्ति को विक्रय करने की कार्रवाई नहीं करने पर विकास शाखा के तीन कर्मचारियों की एक वेतनवृद्धि रोक दी है। वहीं दो प्रभारी सहायक यंत्री को वेतनवृद्धि रोकने के लिए नोटिस जारी हुए हैं। विकास शाखा के सहायक वर्ग-2 गोपाल झालीवाल, सहायक वर्ग-3 राजेंद्र पुरोहित, प्रफुल्लता तिवारी की एक वेतनवृद्धि रोकी गई है।

शाखा के प्रभारी सहायक यंत्री एमके जैन और सत्यप्रकाश आचार्य को एक वेतनवृद्धि रोकी है। डोंगरे स्थित भूखंड डी-29 कल्पना टांक पिता रमेश टांक और 12-13 कलीमी कॉलोनी स्थित भूखंड क्रमांक 110 मोइंज अली पिता बरकत अली की लीज़ अवधि तीन माह पहले निरस्त की थी। दोनों भूखंडों को वापस बेचने की कार्रवाई करना थी, जो जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों ने नहीं की।

[illegible] 19/1/22

## विकास शाखा के तीन कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी

रतलाम। नगर निगम विकास शाखा के सहायक वर्ग-दो गोपाल झालीवाल, सहायक वर्ग-तीन राजेंद्र पुरोहित व प्रफुल्लता तिवारी द्वारा लीज निरस्त किए जाने के बाद अचल संपत्ति अंतरण नियम के तहत विक्रय की कार्यवाही नहीं की जाकर नस्ती को तीन माह तक लंबित रखने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार तीनों कर्मचारियों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकी गई। साथ ही विकास शाखा के प्रभारी सहायक यंत्री एमके जैन व सत्यप्रकाश आचार्य की एक-एक वेतनवृद्धि रोके जाने के लिए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। योजना क्र. 64 डोंगरे स्थित भूखंड क्र. डी-29 कल्पना टांक पुत्री रमेश टांक व योजना क्र. 12-13 कलीमी कालोनी स्थित भूखंड क्रमांक 110 मोइज अली पुत्र बरकत अली की लीज अवधि तीन माह पहले निरस्त की गई थी। फिर अचल संपत्ति अंतरण नियम के तहत विक्रय की कार्यवाही नहीं की जाकर नस्ती को तीन माह तक लंबित रखने पर कर्मचारियों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकी गई।

नईदुनिया 19/1/22

# लीज बढ़ाने किया आवेदन...चार माह के बाद भी कह रहे फाईल नहीं मिल रही

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। अपर कलेक्टर एमएल आर्य तथा डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद द्वारा 36 आवेदनों की सुनवाई

**▸ जनसुनवाई में 36 आवेदन,विभागों को निराकरण के निर्देश**

करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में दीनदयाल नगर (झुग्गी झोपडी) निवासी मंजूबाला ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी के पुत्र संदीप पिता राजमल द्वारा इंडिया शेल्टर बैंक से लोन लिया गया था जिसकी मासिक किश्त 500 रुपए ली जा रही थी। लाकडाउन लगने के बाद किश्त की राशि 1199 रुपए प्रतिमाह के मान से प्रार्थिया द्वारा जमा कराई जा रही थी किन्तु प्रार्थिया के पुत्र संदीप की 2 अप्रैल को तथा पति की 16 मई को मृत्यु हो जाने के कारण पारिवारिक स्थिति काफी खराब हो गई है। बैंक वालों ने किश्त की राशि 7035 रुपए प्रतिमाह कर दी है। इतनी बडी रकम प्रार्थिया भरने में असमर्थ है। अत: 1199 रुपए की मासिक किश्त कर दी जाए जो प्रार्थिया अदा कर सकेगी। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

कस्तूरबा नगर गली नं. 5 निवासी उषा मालपानी पति कमलेश मालपानी जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का एक मकान गली नं. 5 कस्तूरबा नगर रतलाम में स्थित है।

उक्त मकान की लीज अवधि बढाने हेतु प्रार्थिया द्वारा 14 सितम्बर को आवेदन दिया था परन्तु चार माह बीतने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। पूछने पर बताया जाता कि उक्त प्रकरण की फाईल नहीं मिल रही है। अत: मेरे मकान की लीज अवधि बढाई जाने की कृपा करे। प्रकरण निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम को प्रेषित किया गया है। ग्राम माल्या तहसील ताल निवासी नारायण सिंह राजपूत ने बताया कि पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत जो पाइप लाइन डाली गई है वह नालियों में डाल दी गई है जिससे ग्रामीणों को गंदा व बदबूदार पानी मिल रहा है और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा।

नवभारत 19

नवभारत 19/1/22

# कोरोना : सोमवार की जांच रिपोर्ट में 108 महिला पुरुष संक्रमण की गिरफ्त में

- स्वस्थ होने के उपरांत 44 को किया डिस्चार्ज
- सक्रिय मरीज है 627

सिंघम रिपोर्टर ▫ रतलाम

कोरोनावायरस संक्रमण की गति लगातार विस्फोटक होकर बढ़ रही है। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 108 महिला पुरुष संक्रमित हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है स्वस्थ होने के उपरांत 44 को डिस्चार्ज किया गया। 627 एक्टिव मरीज है जिनका उपचार चल रहा है।

जिला महामारी नियंत्रक डॉ गौरव बोरीवाल ने बताया कि सोमवार को 108 महिला पुरुष और बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आइसोलेट कर उपचार किया जा रहा है। 905 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी शेष है। अच्छी बात यह है कि इतने संक्रमित होने के बावजूद अब तक किसी की जीवन लीला समाप्त नहीं हुई है सभी स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। गंभीर मरीज नहीं है।

# प्रशासन को उठाने होंगे सख्त कदम : खरगोन में कोरोना बेकाबू आंकड़ा 500 के पार

सिंघम रिपोर्टर ▫ खरगोन

जिले में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है उतनी ही बेपरवाही भी बाजार में दिखाई दे रही है। संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15 दिन पहले संक्रमण की दर मात्र 0.2 फीसद थी जो बढ़कर 5.47 पर पहुंच गई है। जिला मुख्यालय पर जिले भर से लोगों की आवाजाही होती रहती है और यहां पर संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो पूरे जिले को सुरक्षित रखना प्रशासन के बस में नजर नहीं आ रहा है। जिले में एक्टिव मरीजों का संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है और सोमवार को जो रिपोर्ट आई हैं उसमें भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिलेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है एक सप्ताह में संक्रमितों का आंकड़ा पांच एक हजार से अधिक हो सकता है।

**मास्क वितरित कर किया जागरूक**

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर में मास्क वितरित कर आम जनता को जागरूक किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रविंद्र वर्मा, पूर्व नपाध्यक्ष विपिन गौर, अवतारसिंह पाल शंकर मैना, किशोर पुजारी, युवराज व्यास, कमलेश मुकाती, पंकज परिहार, राजवीर चावला, भोलू कर्मा, गौरव महाजन, प्रवीण पाटीदार, अमित मौर्य, सुनील वर्मा, गुरदीपसिंह चावला, महेश पटेल, यश गोधा, अंशुल जोशी, संतोष सगोरे, अतिम श्रीवास, मुक्षु लाला, शिवम राठौर एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

## शहर की स्थिति चिंताजनक

जिले में नए मरीजों में सबसे अधिक आंकड़े शहर के ही हैं। ऐसे में शहर की स्थिति चिंताजनक हो रही है। शहर में संक्रमण की रोकथाम करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रयास ही नहीं किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा ही कभी कभार मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई की जाती है। इसका भी कोई खास असर लोगों पर नहीं हो रहा है। दुकानों में तो भीड़ बिना मास्क लगाए पहुंच रही है लेकिन दुकानदार भी संक्रमण के प्रति बेपरवाह बने नजर आ रहे हैं।

सिंघम - 18/1/22

### प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर भेजने की दी चेतावनी

# होम आइसोलेशन के मरीज नहीं उठा रहे कोविड कमांड सेंटर के फोन

रतलाम। जो मरीज कोरोना संक्रमित हैं और होम आइसोलेट हैं उनकी सेहत के हाल-चाल जानने के लिए जिला कोविड-कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 1075 से फोन किए जाते हैं। मरीज को दो बार कॉल की जाती है जो उनकी सेहत की बेहतरी, मार्गदर्शन एवं उपचार हेतु की जाती है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि होम आइसोलेट मरीजों को कॉल किए जाने के दौरान पाया गया है कि प्रायः मरीज द्वारा फोन अटेंड नहीं किए जाते हैं अथवा फोन बंद मिलता है या मरीज द्वारा गलत नंबर दर्ज करवाए गए हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि जिला कोविड- कमांड कंट्रोल सेंटर द्वारा दो बार मरीज को कॉल किया जाएगा। यदि फोन अटेंड नहीं किया गया तो मरीज को होम आइसोलेशन के स्थान पर कोविड-केयर सेंटर भेज दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिले में अभी 570 मरीज होम आइसोलेट हैं। इनमें 515 मरीज केवल रतलाम शहर में होम आइसोलेट किए गए हैं। नवभारत 19

## रोज मिल रहे 100 से अधिक मरीज

8 जनवरी को जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 102 थी। वहीं, अब यह बढ़कर 600 के पार हो गई है। बीते चार दिनों में हर दिन 100 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने पांव पसार लिए है। रतलाम शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। खासकर शादी विवाह के आयोजनों को लेकर शहर के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यह लापरवाही संक्रमण की रफ्तार को और भी बढ़ा सकती है।

नवभारत 19/1/22

# कोविड कमांड सेंटर के फोन अटेंड करें अन्यथा कोविड-केयर सेंटर भेज दिए जाएंगे

रतलाम। जो मरीज कोरोना संक्रमित हैं और होम आइसोलेट हैं उनकी सेहत के हाल-चाल जानने के लिए जिला कोविड-कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 1075 से फोन किए जाते हैं।

मरीज को दो बार कॉल की जाती है जो उनकी सेहत की बेहतरी, मार्गदर्शन एवं उपचार हेतु की जाती है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि होम आइसोलेट मरीजों को कॉल किए जाने के दौरान पाया गया है कि प्रायः मरीज द्वारा फोन अटेंड नहीं किए जाते हैं अथवा फोन बंद मिलता है या मरीज द्वारा गलत नंबर दर्ज करवाए गए हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि जिला कोविड- कमांड कंट्रोल सेंटर द्वारा दो बार मरीज को कॉल किया जाएगा। यदि फोन अटेंड नहीं किया गया तो मरीज को होम आइसोलेशन के स्थान पर कोविड-केयर सेंटर भेज दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि जिले में अभी 570 मरीज होम आइसोलेट हैं। इनमें 515 मरीज केवल रतलाम शहर में होम आइसोलेट किए गए हैं।

प्रसारण 1-19

प्रसारण 19/1/22

# हास्पिटल के सामने उद्योग की जमीन पर बनी होटल तोड़ी, अन्य निर्माण भी हटाएंगे

रतलाम(नईदुनिया प्रतिनिधि)। रेलवे हास्पिटल के सामने उद्योग विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मंगलवार को की गई। परफेक्ट पाटरीज उद्योग को दी गई जमीन के सड़क वाले छोर पर पुष्कर रेस्टोरेंट संचालित की जा रही थी। अतिक्रमण होने से उद्योग विभाग ने नोटिस जारी किया था।

कार्रवाई को लेकर होटल संचालक ने मंदिर के ट्रस्ट के किरायेदार होने की जानकारी देते हुए कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया था। उद्योग विभाग से कोर्ट में प्रमाण दिए गए कि परफेक्ट पाटरीज ने मंदिर कर्मचारियों के लिए बनाया था। मंदिर की ओर से कोई जमीन किसी को किराये पर नहीं दी गई। इसके बाद स्टे खारिज हो गया। सोमवार को प्रमाणित प्रति आते ही प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई कर निर्माण तोड़ दिया। इसके साथ ही आसपास स्थित गुमटियों व अन्य दुकानों के संचालकों को भी एक दिन का समय निर्माण हटाने के लिए दिया गया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी सहित राजस्व व उद्योग विभाग का अमला भी मौजूद रहा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मुकेश शर्मा ने बताया कि उद्योग विभाग की जमीन पर हुए अन्य अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। ई. 19

परफेक्ट पाटरीज की जमीन पर बनी रेस्टोरेंट को जेसीबी से तोड़ा गया। • नईदुनिया

नईदुनिया 19/1/22

# पदमावती धाम कॉलोनी के सामने फॉरेस्ट की जमीन, जांच के बाद तोड़ेंगे अतिक्रमण

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अपने मतलब के लिए सरकारी जमीन उपयोग करने के लिए भूमाफिया हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही मामला होमगार्ड कॉलोनी रोड पर विकसित की जा रही पदमावती धाम कॉलोनी का है। इसके सामने सर्वे नंबर 282 की 1.5 बीघा सरकारी जमीन है। सड़क के सहारे यह जमीन जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ऑफिस से सरकारी स्कूल तक फैली है। सिर्फ यही नहीं पीछे के खेत वालों ने इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके दुकानें और गोदाम किराए पर दे दिए हैं।

खुलासा तब हुआ जब पौधरोपण के लिए वन विभाग ने प्रशासन से जमीन सौंपने के लिए कहा। उधर, सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर चौहान ने इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की थी। जांच करके कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने टीम बना दी है। तहसीलदार गोपाल सोनी, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारी सहित 6 अधिकारी शामिल हैं। नपती करके टीम रिपोर्ट देंगी। उसके बाद प्रशासनिक अमला जमीन का सारा अतिक्रमण हटाएगा।

## 3 साल पहले दी थी जमीन

होमगार्ड कॉलोनी रोड की सर्वे नंबर 282 की लगभग 60 फीट चौड़ी और 500 फीट लंबी जमीन प्रशासन ने तीन साल पहले वन विभाग को पौधरोपण के लिए दी थी। पता होने के बावजूद कॉलोनाइजर ने पदमावती धाम कॉलोनी डवलप करके बड़ा-सा गेट बना दिया है। इतना ही नहीं प्लॉट बेचना शुरू कर दिए हैं। जमीन मिलने के बाद वन विभाग ने पौधरोपण कर दिया तो पदमावती धाम कॉलोनी आने-जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। कॉलोनाइजर शेखर कांसवा का कहना है हमारी कॉलोनी का गेट रोड से बहुत अंदर है। यह सड़क 100 फीट चौड़ी है। आगे की जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं।

## आसपास भी कब्जा कर रखा

अतिक्रमण की शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर चौहान ने बताया सर्वे नंबर 282 की 2.180 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर पांच दुकानें और इसके पास वाली जमीन एक व्यक्ति ने गैस पाइप लाइन वाले को किराए पर दे दी है। इसके अलावा सर्वे नंबर 277 की 3.210 हेक्टेयर जमीन पर एक व्यक्ति ने गोदाम बना लिया है, तो कुछ अन्य बाकी जमीन पर खेती कर रहे हैं।

## मानसरोवर कॉलोनी के पास से नहीं हटा अतिक्रमण

होमगार्ड कॉलोनी रोड पर ही मानसरोवर कॉलोनी के पास वाली सरकारी जमीन के लगभग 8903 वर्गफीट पर कॉलोनी के 6 मकान मालिकों ने अतिक्रमण कर रखा है।

दै. भास्कर 19/1/22

# होम आइसोलेट मरीजों ने फोन नहीं उठाया तो जाएंगे कोविड सेंटर

**रतलाम.** कोरोना संक्रमित मरीजों के होम आइसोलेट होने से अब प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ने लगी है। इससे पार पाने के लिए प्रशासन अब सख्ती बरतने जा रहा है। दरअसल बीते होम आइसोलेट मरीजों से उनकी सेहत के हाल-चाल जानने के लिए जब जिला कोविड-कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से फोन किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई मरीज फोन नहीं उठाते हैं तो कुछ बंद कर देते। इतना ही नहीं कुछ के द्वारा नंबर भी गलत दिए गए हैं। ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए कलेक्टर ने नए आदेश जारी किए हैं। होम आइसोलेट मरीज को दो बार कॉल किया जाता है जो उनकी सेहत की बेहतरी, मार्गदर्शन एवं उपचार के लिए होता है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि होम आइसोलेट मरीजों को कॉल किए जाने के दौरान पाया गया है कि प्रायः मरीज द्वारा फोन अटेंड नहीं किए जाते हैं या फोन बंद मिलता है या फिर मरीज द्वारा गलत नंबर दर्ज करवाए गए हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि जिला कोविड-कमांड कंट्रोल सेंटर द्वारा दो बार मरीज को कॉल किया जाएगा। यदि फोन अटेंड नहीं किया गया तो मरीज को होम आइसोलेशन के स्थान पर कोविड-केयर सेंटर भेज दिया जाएगा। जिले में अभी 570 मरीज होम आइसोलेट हैं। इनमें 515 मरीज केवल रतलाम शहर में होम आइसोलेट किए गए हैं।

पत्रिका 19/1/22

# रतलाम में अब कोरोना के 118 नए मरीज मिले

**रतलाम.** मेडिकल कॉलेज की लैब से मंगलवार की रात आई जांच रिपोर्ट में 118 नए मरीज मिले हैं। लगातार चौथे दिन रतलाम में मरीजों का आंकड़ा 100 से अधिक रहा है। मरीजों की संख्या भले ही लगातार बढ़ रही है लेकिन राहत इसी बात की है कि गंभीर कोई नहीं है। रतलाम में जितने मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश मरीजों में कोई खास लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज में अब तक गिनती के बेड पर ही मरीज हैं जो कि एक सुखद बात है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का अमला लगातार लोगों को समझाइश दे रहा है लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं।

## अवैध नल विच्छेद व बकाया वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी,1 लाख 20 हजार की राशि बकाया के रूप में वसूली

रतलाम। अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न वार्डो में जलकर की बकाया वसूली करते हुए 1,20,775/- की राशि वसूली।
निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए बकाया जलकर वसूली की कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 18,720/-, वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 17,425/-, वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 24,190/- व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 14,540/- इस तरह कुल राशि रूपये 1,20,775/- की बकाया राशि वसूली।

## रात्रिकालीन सफाई कार्य के अनुपस्थित 4 सफाई मित्रों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 4 सफाई मित्रो द्वारा 16 जनवरी रविवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 16 जनवरी रविवार को विशाल-कैलाश, रवि-उंकार, राजेश-मोहनलाल व अमन रमेश द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

## अवैध नल विच्छेद व बकाया वसूली की कार्रवाई निरंतर जारी

रतलाम ● अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रमांक-1 से 12 में 18,720/-, वार्ड क्रमांक-13 से 25 में 17,425/-, वार्ड क्रमांक-26 से 37 में 24,190/- व वार्ड क्रमांक-38 से 49 में 14,540/- इस तरह कुल राशि रुपए 1,20,775/- की बकाया राशि वसूली। उक्त कार्रवाई कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में उपयंत्री सुहास पंडित, भैय्यालाल चौधरी, केमिस्ट नीरज यादव व जितेन्द्र सिसौदिया द्वारा की गई।

## 71 हजार की राशि बकाया के रूप में वसूली

रतलाम. अवैध नल कनेक्शन वालों के खिलाफ चल रहे अभियान के अंतर्गत निगम ने मंगलवार को कुल 71 हजार रुपए की बकाया राशि वसूली है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया वार्ड 1 से 12 में 17,450, वार्ड 13 से 25 में 19,330, वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 21,545 व वार्ड 38 से 49 में 13,470 इस तरह कुल 71,796 रुपये की बकाया राशि वसूली गई है।

## 80 टन से अधिक कचरा जुलवानिया भेजा

रतलाम. शहर में प्रतिदिन सूखा व गिला कचरा मैजिक वाहन से संग्रहण होता है। एकत्रित किए गए कचरे को जुलवानिया स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड भेजा जाता है। मंगलवार को 80 टन कचरा एकत्रित कर भेजा गया। निगम उपायुक्त विकास सोलंकी ने बताया मंगलवार को डम्पर से 37685, ट्रेक्टर से 9895, काम्पेक्टर सूखा कचरा 16170 व काम्पेक्टर गिला कचरा 16290 इस तरह कुल 80040 किलो कचरा जुलवानिया भेजा गया।

## रात में ड्यूटी के समय थे नदारद, कटा वेतन

रतलाम. शहर में स्वच्छता अभियान अंतर्गत दिन के साथ - साथ रात में भी सफाई कार्य शुरू किया गया है। ऐसे में रात्रिकालिन कर्मचारियों के काम के दौरान नदारत रहने पर उनके वेतन काटे जा रहे है। सोमवार की रात को 11 कर्मचारी काम के दौरान आयुक्त सोमनाथ झारिया के औचक निरीक्षण में नदारत मिले, इसके बाद उनका एक दिन का वेतन काटते हुए सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया गया है।

शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने के लिए 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य रोड, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 11 सफाई मित्रों द्वारा सोमवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त झारिया ने वेतन काट दिया है। सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस जारी कर दिया है।

### यह नहीं आए रात को काम पर

निगम आयुक्त झारिया के अनुसार विशाल-कैलाश, रवि-उंकार, रवि-मासुम, महेन्द्र-सुरेश, सुनील-भागीरथ, सतीश-रामप्रसाद, विजय-सुरेश, सन्नी-मुकेश, रोहित-प्रभुदयाल, हीरा-श्यामलाल व आनन्द-बाबुलाल द्वारा बिना सूचना के बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

**कोर्ट में खत्म हुआ स्टे तो दो दिन में कर दिखाई कार्रवाई**

# जमींदोज किया अतिक्रमण, 60 हजार जुर्माना

**पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क**
patrika.com

**रतलाम.** शहर के रेलवे अस्पताल के सामने उद्योग विभाग की भूमि पर करीब दस से अधिक वर्ष से किए गए एक अतिक्रमण को चार घंटे की कार्रवाई में जेसीबी की मदद से नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। दुकान स्वामी ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, 16 जनवरी को अवधि समाप्त हुई तो दो दिन में सख्त रुप अख्तियार करते हुए अतिक्रमण को नेस्तनाबूत कर दिया गया। अतिक्रमण कर्ता को 60 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

मंगलवार सुबह करीब 10 बजे निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, उपयंत्री मनीष तिवारी, बृजेश कुशवाह, शहर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत, नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान सहित अन्य अधिकारी रेलवे अस्पताल के सामने स्थित निजी होटल क्षेत्र पुष्कर रेस्टोरेंट पहुंचे।

करीब 10 मिनिट तक होटल संचालक व साथियों ने अधिकारियों से बहस भी की। हालांकि जो सामग्री होटल में थी, बाहर निकालने का समय दिया। 4 घंटे कार्रवाई के बाद होटल पूरी तरह से तोड़ दिया गया।

नगर निगम द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई के दौरान 15 हजार रुपए प्रतिघंटा की दर से तोड़फोड़ का जुर्माना वसूला जाता है। अब होटल संचालक को चार घंटे की कार्रवाई के मान से 60 हजार रुपए का नोटिस जमा करने के लिए एक सप्ताह के समय के साथ दिया जा रहा है।

### लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

शहर में कही भी अतिक्रमतण चाहे वो किसी का भी हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह साफ संदेश है कि जो अतिक्रमण करें, इसकी सूचना दी जाए, नगर निगम जांच के बाद सख्त कार्रवाई करेगी।

**- सोमनाथ झारिया**, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 19

पत्रिका 19/1/22

## फैक्टरी की जमीन पर बने रेस्टोरेंट को हटाया

**रतलाम** | रेलवे अस्पताल के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट को मंगलवार को प्रशासन ने जेसीबी से हटा दिया। यह रेस्टोरेंट बंद पड़ी परफेक्ट पॉटरीज की जमीन पर बना था। एसडीएम अभिषेक गहलोत के अनुसार कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद उद्योग विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। नगर निगम के अमले ने होटल तोड़कर जमीन मुक्त करा ली। इस होटल के लगते हुए ही औद्योगिक क्षेत्र की तरफ कई कच्ची-पक्की दुकानें बनी है। कार्रवाई के लिए पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें खाली कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस बल के साथ सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार गोपाल सोनी सहित अन्य मौजूद रहे।

भास्कर - 19

दै. भास्कर 19/1/22

अनदेखी **विधायक की चिट्ठी पर शासन ने किया समस्या का समाधान**

# अब संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ

**रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क**

शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि रतलाम नगर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को रा%य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था।

शासन की और से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) म.प्र. भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

श्री काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बिमारी के उपचार में काफी मदद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा।

राज 19

राजएक्सप्रेस 19/1/22

# जिला स्तरीय जनसुनवाई में 36 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित दिए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य तथा डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद द्वारा 36 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में दीनदयाल नगर (झुग्गी झोपडी) निवासी मंजूबाला ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी के पुत्र संदीप पिता राजमल द्वारा इंडिया शेल्टर बैंक से लोन लिया गया था जिसकी मासिक किश्त 500 रुपए ली जा रही थी। लाकडाउन लगने के बाद किश्त की राशि 1199 रुपए प्रतिमाह के मान से प्रार्थिया द्वारा जमा कराई जा रही थी किन्तु प्रार्थिया के पुत्र संदीप की 2 अप्रैल को तथा पति की 16 मई को मृत्यु हो जाने के कारण पारिवारिक स्थिति काफी खराब हो गई है। बैंक वालों ने किश्त की राशि 7035 रुपए प्रतिमाह कर दी है। इतनी बडी रकम प्रार्थिया भरने में असमर्थ है। अतः 1199 रुपए की मासिक किश्त कर दा जाए जो प्राथया अदा कर सकेगी। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है।

कस्तूरबा नगर गली नं. 5 निवासी उषा मालपानी पति कमलेश मालपानी जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का एक मकान गली नं. 5 कस्तूरबा नगर रतलाम में स्थित है। उक्त मकान की लीज अवधि बढाने हेतु प्रार्थिया द्वारा 14 सितम्बर को आवेदन दिया था परन्तु चार माह बीतने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। पूछने पर बताया जाता कि उक्त प्रकरण की फाईल नहीं मिल रही है। अतः मेरे मकान की लीज अवधि बढाई जाने की कृपा करे। प्रकरण निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम को प्रेषित किया गया है। ग्राम माल्या तहसील ताल निवासी नारायण सिंह राजपूत ने बताया कि पीएचई विभाग द्वार नल जल योजना के तहत जो पाइप लाइन डाली गई है वह नालियों में डाल दी गई है जिससे ग्रामीणों को गंदा व बदबूदार पानी मिल रहा है और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है। स्वतंत्र - 19

स्वतंत्र चेतना 19/1/२२

# संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ - विधायक काश्यप

रतलाम ● स्वदेश समाचार

शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नहीं बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि नगर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होंने 30 दिसंबर को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था।

शासन की ओर से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) म.प्र. भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

श्री काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बीमारी के उपचार में काफी मदद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा।

स्वदेश - 19

स्वदेश 19/1/22

# संबल पात्र हितग्राहियों को मिलेगा आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ : विधायक

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

शहर के जिन संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पूर्व में नही बन पा रहे थे, उनके अब आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। इससे उन्हें आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की योजना दी जाती है।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि रतलाम नगर के कुछ संबल पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे, इस पर उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को राज्य शासन को चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित किया था। अतिसंवेदनशील मामला होने से शासन से इस समस्या का समाधान तत्काल करने का आग्रह किया था।

शासन की ओर से 17 जनवरी को मिले प्रत्युत्तर में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने बताया कि शासन ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) म.प्र. भोपाल से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद समस्त संबल पात्र हितग्राहियों की पात्रता आयुष्मान भारत के बीआईएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है।

इसके माध्यम से समस्त पात्र हितग्राही कॉमन सर्विस सेन्टर व लोक सेवा केन्द्रों पर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

श्री काश्यप ने बताया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना भारत सरकार की अनुपम योजना है। इससे कई परिवारों को बिमारी के उपचार में काफी मदद मिली है। शहर के जो परिवार पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनके सहित पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राही परिवारों को अब आयुष्मान कार्ड बनने पर योजना का लाभ मिलने लगेगा।

प्रसारण - 19

प्रसारण 19/1/22

## खुले में गंदगी करने पर 6 पर जुर्माना

रतलाम. शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद नगर निगम की स्पाट फाइन टीम को मात्र 12 लोग बगैर मास्क के नजर आए हैं। इन लोगों पर अर्थदंड किया गया है। खुले में गंदगी करने पर 6 लोगों पर जुर्माना किया गया है। कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश है कि जिले में जो भी बगैर मास्क नजर आए, उस व्यक्ति पर जुर्माना किया जाए। ऐसे में दिनभर वाहन में घुमने वाले दल को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी के दौरान मात्र 12 लोग बगैर मास्क मिले हैं। अब ऐसे लोगों पर 100-100 रुपए का अर्थदंड किया गया है। 6 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

## आज कल्याण नगर में लगेगा शिविर

रतलाम. नगर निगम द्वारा जारी बकाया कर के भुगतान के लिए आयोजित शिविर के अंतर्गत बुधवार को कल्याण नगर में आयोजन होगा। अब तक जारी शिविर के अंतर्गत संपत्तिकर 43.43 लाख व जलकर 9.32 लाख की बकाया राशि जमा हुई है।

पत्रिका 19/1/22

## 11 सफाई मित्रों का वेतन काटा

रतलाम। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत सोमवार को विशाल-कैलाश, रवि-ओंकार, रवि-मासूम, महेन्द्र-सुरेश, सुनील-भागीरथ, सतीश-रामप्रसाद, विजय-सुरेश, सत्री-मुकेश, रोहित-प्रभुदयाल, हीरा-श्यामलाल व आनंद-बाबूलाल बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे। इस पर सभी का एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

## गंदगी फैलाने वाले 10 लोगों से वसूला जुर्माना

रतलाम। खुले में गंदगी करने, रेत, मिट्टी, मलबा फैलाने पर महेश पवार, प्रकाश, शांतिलाल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 1000-1000, श्याम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 500, लालू, कासमभाई महू रोड, जितेंद्र सैलाना बस स्टैंड, राजेश, रामसिंह व तेजसिंह जीपीओ रोड से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश दी। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 12 व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का स्पाट फाइन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी गई।

नईदुनिया 19/1/22

## 7573 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर व केन्द्रों पर किया जा रहा है।

नई. 19